

2025/9/12

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला - सीकर

धन्नी देवी बनाम तहसील 615 धोद
किस्म मुकदमा 136 एल मु.नं. 478 वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा - पत्र
17/10/25	<p>प्रार्थीया धन्नी देवी पत्नी लच्छा राम जाति जाट निवासी ग्राम पेवा तहसील धोद जिला सीकर द्वारा प्रस्तुत आवेदन बाबत राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती के अनुसार ग्राम पेवा पटवार हल्का पेवा तहसील धोद जिला सीकर के खाता सं. 125, 143 (नया) के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदियों में प्रार्थीया का नाम धन्नी पत्नी लच्छा जो कि गलत है। जबकि प्रार्थीया का सही नाम धन्नी देवी पत्नी लच्छा राम है। प्रार्थीया के दस्तावेजात की प्रस्तुत प्रतियों में प्रार्थीया का सही नाम धन्नी देवी पत्नी लच्छा राम दर्ज है। अतः उक्त वर्णित वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदियों में प्रार्थीया का नाम धन्नी पत्नी लच्छा के स्थान पर धन्नी देवी पत्नी लच्छा राम दुरुस्त किया जावे।</p> <p>प्रकरण में प्रार्थीया के नाम की प्रविष्टि के संबंध में तहसीलदार, धोद के पत्रांक: भू.अ./2025/1865 दिनांक 07.10.2025 के द्वारा दुरुस्ती संबंधी रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात प्राप्त हुई। उक्त का अवलोकन किया। उक्त रिपोर्ट मुताबिक प्रार्थीया के अनुतोष के अनुसार सही है। प्रार्थना-पत्र अ.घा. 136 एल आर एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर किया जावे।</p> <p>अतः प्रार्थीया का आवेदन तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर ग्राम पेवा पटवार हल्का पेवा तहसील धोद जिला सीकर के खाता सं. 125, 143 (नया) के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदियों में प्रार्थीया का नाम धन्नी पत्नी लच्छा के स्थान पर धन्नी देवी पत्नी लच्छा राम दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। पूर्व की प्रविष्टि से किसी तरह की सरकारी, गैर सरकारी बकाया एवं उत्तरदायित्व हो तो उसके निर्वहन एवं अदायगी के लिए संबंधित खातेदार/प्रार्थीया स्वयं जिम्मेदार होंगे। तहसीलदार, धोद के पत्रांक: भू.अ./2025/1865 दिनांक 07.10.2025 के द्वारा प्राप्त दुरुस्ती संबंधी रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात निर्णय का अभिन्न अंग रहेगी। पालनाथ तहसीलदार, धोद को लिखा जावे।</p> <p>आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाव तकमील दाखिल दफतर हैं।</p>



उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला सीकर
उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

